कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या– 431 /दि०वि०, पटना, दिनांक– 27 / 11 / 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक,बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,
बक्सर / भोजपुर / पटना / वैशाली / मुजफ्फरपुर / पूर्वी चम्पारण / पश्चिमी चम्पारण / खगड़िया / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा / पूर्णियाँ / कटिहार / भागलपुर / मुंगेर / लखीसराय / समस्तीपुर / दरभंगा / मधुबनी / बेगूसराय / सारण / सिवान / गोपालगंज / शिवहर / सीतामढ़ी।
परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना।
उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना।

विषयः– दियारा विकास योजना वर्ष–2014–15 के कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दियारा विकास योजना वर्ष– 2014–15 को क्रियान्वित किए जाने हेतु कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न किया जाता है।

इस कार्यक्रम को दियारा क्षेत्रों के अंतर्गत चिन्हित प्रखंडों में क्रियान्वित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी लाभान्वितों के चयन के तुरन्त बाद इनकी सूची, पूर्ण पता कृषकगण वर्गीकरण एवं दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो तो) इत्यादि के साथ नोडल पदाधिकारी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा सके।

परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास योजनाओं के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एव अनुश्रवण करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटनाएवं संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक इन योजनाओं के मासिक प्रतिवेदन की एक प्रति नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह की पांचवीं तिथि तक तथा कभी भी मांग जाने पर ई–मेल– diaradevelopment project@gmail.com अथवा ddp-bih@nic.in अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे। जिसका समेकित प्रतिवेदन कृषि निदेशक को प्रत्येक माह की दसवीं तिथि तक परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

तदनुसार इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा लक्ष्य का शत्–प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया जाय।

इस अनुदेश में माननीय मंत्री कृषि, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः–यथोपरि।

(धर्मेन्द्र सिंह) 27/11/14
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–431/ दि०वि०, पटना, दिनांक–27/11/2014

प्रतिलिपि– संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–431/ दि०वि०, पटना, दिनांक–27/11/2014

प्रतिलिपि– संयुक्त कृषि निदेशक, पटना/दरभंगा/तिरहुत/सारण/कोशी/पूर्णियाँ/भागलपुर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–431/ दि०वि०, पटना, दिनांक–27/11/2014

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/11

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रस्तावित दियारा विकास योजना वर्ष 2014–15 का प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुदेश

1 **लाभार्थी का चयन**–लाभार्थी के चयन में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित अहर्ता का ध्यान रखा जायगा ।

I. प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक हों।

II. कृषक का चयन कृषक सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाय।

III. स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी अनुशंसा लिया जाय।

IV. पूर्व में एक ही तरह के अनुदान से लाभान्वित कृषकों का पुनः चयन नहीं किया जायेगा।

V. कम से कम 16% अनु० जाति एवं 1% अनु० जन–जाति का चयन अवश्य किया जाएगा। 33% लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त कृषकों में वैसे हीं कृषकों को चुना जाय जिससे उस समाज/श्रेणी के कृषक योजनाओं से प्रभावित हो सकें या अनुसरण कर सकें। इन लाभान्वितों की सूची का अलग से संधारण किया जाय।

VI. वैसे हीं कृषकों को पुनः लाभान्वित किया जा सकता है, जिनके द्वारा पूर्व में लिये गये उपादान (लाभ) एवं वर्त्तमान में दिये जाने वाले उपादान (लाभ) एक दूसरे के पूरक हों एवं उससे उत्पादकता में वृद्धि दृष्टिगोचर होने की स्पष्ट संभावना हो। उपादान का वितरण चयनित कृषकों को गाँव/पंचायत/प्रखंड/जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर, कैम्प में हीं किया जाय।

VII. चयनित कृषक एवं स्थल की सूची का अनुमोदन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह प्रक्रिया वितरण के पूर्व में हीं पूर्ण कर ली जायेगी।

2. **स्थल चयन**

i. स्थल चयन करते समय यह आवश्यक है कि स्थल तकनीकी तौर पर उपयुक्त हो। सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, स्थल तक पहुँचने हेतु सड़क की सुविधा हो ताकि चयनित स्थल का अधिक से अधिक कृषकों द्वारा मुआयना करने में सुविधा हो। यथा संभव चयनित स्थल सड़क के किनारे हो।

ii. इस योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में हीं किया जाना है। स्थल चयन कृषक सलाहकार/कृषि समन्वयक की सहायता से प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। चयनित गाँव के मुहानों पर कार्यक्रम के विवरण के साथ फ्लेक्सी बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है। पी०भी०सी० पाईप बोरिंग में एक चयनित गाँव को संतृप्त करने के पश्चात् हीं दूसरे गाँव के कृषकों का चयन किया जाय।

iii. एक लाभार्थी को अधिकतम एक एकड़ भूमि हेतु ही उपादान उपलब्ध कराया जाय।

17

3. गोर्डस एवं भिंडी सब्जी का हाइब्रिड बीज वितरण–

इस योजना अन्तर्गत गोर्डस यथा (नेनुआ, कद्दू एवं करैला) तथा भिंडी के हाइब्रिड बीज का वितरण का कार्य किया जाना है। अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए हाइब्रिड सब्जी बीज वितरण का प्रावधान किया गया है।

इस योजना में अनुदानित दर पर हाइब्रिड बीज किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुदान की राशि लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 (आठ हजार) रू० प्रति हे० देय होगा। एक किसान को एक एकड़ क्षेत्र के लिए अधिकतम 3200.00 (तीन हजार दो सौ) रू० सहायता अनुदान दिया जाएगा। अनुमान्य बीज की खरीद कृषक स्वंय आयोजित शिविर में करेंगे। सहायतानुदान की राशि शिविर में अकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस उद्देश्य से चुने गये गाँवों/प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में नियमानुसार अधिकृत विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्याप्त मात्रा में निजी कम्पनियों के हाइब्रिड बीज कृषकों के ईच्छानुसार उपलब्ध हो।

4. मटर बीज वितरण–

इस योजना के अंतर्गत कृषकों को उन्नत/हाइब्रिड किस्म के मटर बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्नत/हाइब्रिड किस्म के बीज के क्रय पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 (तीन हजार) रू० प्रति हे० सहायता अनुदान देय होगा। एक किसान को एक एकड़ क्षेत्र के लिए अधिकतम 1200.00 रू० सहायता अनुदान दिया जाएगा। मटर बीज की खरीद कृषक स्वय आयोजित शिविर में करेंगे। सहायतानुदान की राशि शिविर में अकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस उद्देश्य से चुने गये गाँवों/प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में नियमानुसार अधिकृत विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा। इस हेतु कोषागार से अग्रिम राशि की निकासी की जा सकेगी।

मटर बीज की उपलब्धता में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। अर्थात यदि कृषि विश्वविद्यालय में उक्त फसलों के बीज उपलब्ध है तो उन्हें हीं कार्यक्रम में प्राथमिकता पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कृषि विश्वविद्यालय से मटर बीज की प्राप्ति संभव नहीं हो तो सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी अनुशंसा तथा किसानों के रूझान को ध्यान में रखकर निजी बीज कम्पनी के हाईब्रिड बीज भी कार्यक्रम में शामिल किये जा सकते हैं। यदि निजी बीज कम्पनी के बीज का उपयोग आवश्यक हो तो जिला स्तर पर जिला

16

कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान/परियोजना निदेशक (आत्मा)/कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी वैज्ञानिक के द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

5. यथा संभव योजना का कार्यान्वयन कलस्टर मे किया जायेगा। पिछले दो सालों में यदि किसी घटक में किसान को सरकारी सहायता दी गयी है तो उसी घटक के लिए इस बार उन्हें नहीं चुना जायेगा। यह परम्परागत रूप से संबंधित फसल की खेती वाले क्षेत्रों में लगाया जायेगा परन्तु क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से लक्ष्य का अधिकतम 10 प्रतिशत नए क्षेत्रों में भी योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। उन्नत/शंकर प्रभेदों के कारण उत्पादन अथवा गुणवत्ता में वृद्धि को कंट्रोल फ्लॉट से तुलना कर दिखाया जायेगा। योजना कार्यान्वयन की जिम्मेवारी वहाँ के किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को दी जायेगी। वे प्रत्यक्षण एवं कंट्रोल फ्लॉट में फसल लगाने, फसल वृद्धि की प्रत्येक अवस्था, कीट व्याधि का प्रकोप, उपज आदि का अभिलेख संधारित करेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा उनसे ऊपर के पदाधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण में अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी सभी श्रोतों से सम्पर्क कर प्रखंड स्तर पर आयोजित कैम्प में बीज की उपलब्धता हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकृत बिक्रेताओं को आमंत्रित कर पारदर्शिता के साथ समय पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे।

बीज में राशि का औपबंधिक वितरण प्रति एकड़ इस प्रकार होगा

क्र०सं०	फसल का नाम	उपादान	मात्रा	अनुदान की राशि (रू० में)
गोर्डस एवं भिंडी				
1	नेनआ	हाइब्रिड बीज	1.6 कि०ग्रा०	3200.00
2	कद्दू			3200.00
3	करेला			3200.00
4	भिंडी		5.6 कि०ग्रा०	3200.00
मटर बीज वितरण				
5	मटर	उन्नत/हाइब्रिड किस्म बीज	30 कि०ग्रा०	1200.00

6. सिचाई सुविधा

इस अवयव के तहत किसानों को पी०भी०सी० पाईप बोरिंग हेतु लागत का 50 प्रतिशत (100 फीट, 4 इंच व्यास की पाईप हेतु) अधिकतम मो०–6,750.00 (छः हजार सात सौ पचास) रूपये अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी ऐसे गाँव/पंचायत का चयन करेंगे जिसकी पी०भी०सी० पाईप बोरिंग की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके अर्थात बोरिंग से संतृप्त किया जा सके। हर हालत में यह योजना कलस्टर में कार्यान्वित की जायेगी। इस हेतु गाँव/पंचायत का बोरिंग हेतु सर्वेक्षण करा लिया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी ईच्छुक

15

लाभुक से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे एवं उनका नियमानुसार चयन कर स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे। ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धांत पर कृषकों का चयन करना है। बोरिंग गाड़ने से पूर्व भूमि का सत्यापन, बोरिंग गाड़ते समय भौतिक सत्यापन, गहराई तथा सफलतापूर्वक कार्य करने का सत्यापन कृषक सलाहकार/कृषि समन्वयक से कराने के पश्चात् प्रतिवेदन एवं फोटो उपलब्ध कराने के बाद हीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी भुगतान हेतु अनुशंसा करेगें। लाभार्थी का भूमि संबंधित अभिलेख, किये गये बोरिंग का फोटो, अनुदान वितरण के पूर्व प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। चुने गये गाँव में सभी ईच्छुक किसानों को कैम्प लगाकर योजना का लाभ दिया जायेगा। कैम्प के दौरान बोरिंग को सफलतापूर्वक चलने के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर कैम्प में हीं अनुदान का भुगतान अकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के द्वारा किया जायेगा।

40, 60 एवं 100 फीट गहराई का मॉडल प्राक्कलन निम्न है। जिसके आधार पर हीं अनुदान का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

Model Estimate of PVC Pipe Boring Across the average farm size as per Boring (40', 60' & 100')

Sl. No.	Component	Rate (Rs.) in	For 40 Feet		For 60 Feet		For 100 Feet	
			Quantity	Amount (Rs.)	Quantity	Amount (Rs.)	Quantity	Amount (Rs.)
1	ISI PVC pipe length-30'	800 per 10 feet of 10 kg. approx.	30 feet	2400.00	50 feet	4000.00	90 feet	7200.00
2	PVC Strainer	900 per piece of 10 feet(10 kg. approx.)	10 feet	900.00	10 feet	900.00	10 feet	900.00
3	Bottle Tee 4'' metalic	165.00	1 piece	165.00	1 piece	165.00	1 piece	165.00
4	Check Valve 4''	2200.00	1 piece	2200.00	1 piece	2200.00	1 piece	2200.00
5	Socket & Nipple	150.00	4 piece	600.00	6 piece	900.00	10 piece	1500.00
6	Sand & Gravel		65 kg	100.00 L.S.	100 kg	125.00 L.S	150 Kg	150.00 L.S
7	Labour	Highly skilled-259, Unskilled-168	Highly skilled-1, Unskilled-2	595.00	Highly skilled-1, Unskilled-2	595.00	Highly skilled-1, Unskilled-2	595.00
	Total (1-7)			6960.00		8885.00		12120.00
8	Cost incurred in transporting the material	1.5% of the total cost(1-7)		104.00		133.00		182.00
9	Contingent expenditure	1.6% of the total cost(1-7)		111.00		142.00		193.00
	Sub Total (1-19)			7175.00		9160.00		12495.00
10	Over head & supervision charge	10% of total cost (1-13)		718.00		916.00		1250.00
	Grand Total (1-10)			7893.00		10076.00		13745.00
			Rs. Seven thousand eight hundred ninety three only		Rs. Ten thousand seventy six only		Rs. Thirteen thousand seven hundred forty five only	

Note: (i) Rate are taken from local market.

(ii) Rate may vary market to market hence Payment should be done on the basis of actual work done and actual rate.

(iii) Work should be done in the supervision of bonafied junior engineer.

7. सभी अवयवों में अगर भौतिक लक्ष्य की पूर्ण उपलब्धि के बाद भी राशि अवशेष बच जाती है तो वित्तीय अधिसीमा के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।

8. **प्रचार, प्रसार एवं मुद्रण**

I. उप कृषि निदेशक, सूचना द्वारा इस योजना से संबंधित प्रचार–प्रसार किया जायेगा एवं अनुदेश, विवरणी, तकनीकी आलेख इत्यादि मुद्रित कराकर वितरित करायी जायेगी। इसके साथ ही उनके द्वारा कार्यक्रम की उपलब्धियों का विडियो फिल्म निर्माण भी कराया जायेगा। तकनीकी आलेख में दियारा क्षेत्र के कृषि का भी ध्यान रखा जायेगा। ऐसे सभी तकनीकी आलेख काफी संख्या में छपाये जायेंगें ताकि यह प्रशिक्षणार्थियों के अलावा अन्य किसानों को भी उपलब्ध कराया जा सके।

II. सभी जिला कृषि पदाधिकारी इस योजना के सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी सुनिश्चित् करेंगे। इस योजना के लाभार्थी के खेतों पर संबंधित सूचना–पट लगाना आवश्यक होगा। सभी लाभार्थियों से फीड बैक प्राप्त कर इसका डॉक्युमेन्टेशन भी कराया जायेगा। इन कार्यों हेतु आकस्मिकता मद की राशि उपयोग में लायी जा सकेगी।

9. **संस्तुत किस्में**

बीज एवं पौध वितरण हेतु निर्धारित फसलों के निम्नलिखित किस्मों का प्रयोग इस कार्यक्रम हेतु अनुशंसित किया जाता है :

क्रमांक	फसल	किस्म
i	कद्दु	हाइब्रिड किस्म
ii	नेनुआ	
iii	करैला	
iv	भिंडी	
v	मटर	आर्किल, काशी शक्ति, बौनविले, पंत उपहार, जवाहर मटर–1, जवाहर मटर–21, मालवीय–15, आजाद मटर आदि

10. **दायित्व**

कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार (रसोर्स पर्सन) का दायित्व :

10.1 योजना हेतु कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार रिसोर्स पर्सन का कार्य करेंगे।

10.2 रिसोर्स पर्सन कृषकों का चयन, स्थल का चयन, प्रशिक्षण में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व होगा।

10.3 रिसोर्स पर्सन द्वारा गोर्डस एवं भिंडी/मटर की खेती का प्रसार कार्य किया जाना है।

13

10.4 गोर्डस एवं भिंडी/मटर की खेती के लिये संबंधित रिसोर्स पर्सन एक पंजी रखेगे। पंजी का प्रत्येक पृष्ठ एक किसान को आवंटित होगा। इसमें सभी सुसंगत सूचना संधारित होगी। इसमें बुआई से लेकर कटाई एवं उत्पादन तक सूचना उपलब्ध होगा। रिसोर्स पर्सन लाभान्वित कृषकों की सूची निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिलों को उपलब्ध करायेगे।

प्रपत्र

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	गोर्डस, भिंडी तथा मटर का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषक का वर्गीकरण			
					अ0ज0/अ0ज0जा0	सीमान्त	लघु	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. **प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व :**

a. अपने अधीनस्थ कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से कृषकों का चयन कराना।

b. चयनित कृषकों की सूची तैयार कराना तथा इसे संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

c. प्रखंड स्तर पर शिविर में गोर्डस एवं भिंडी तथा मटर बीज उत्पादन से संबंधित कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराना।

d. शिविर में राज्य के लिए अनुशंसित गोर्डस एवं भिंडी तथा मटर प्रभेदों के बीज की उपलब्धता किसानों के क्रय हेतु उपलब्ध कराना।

e. शिविर में किसान द्वारा क्रय किये गए गोर्डस एवं भिंडी तथा मटर का भौतिक सत्यापन तथा अभिश्रव के आधार पर शिविर में हीं अनुमान्य राशि का अकाउट पेयी चेक/RTGS से भुगतान कराना।

f. मटर की खेती के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।

g. अपने प्रखंड के अधीन योजना हेतु ग्राम का सर्वेक्षण करना तथा अध्यतन सूचनाओं को जिला कृषि पदाधिकारी तक पहुँचाना।

h. प्रखंड कृषि पदाधिकारी इस अभियान के लिये अपने प्रखंड में पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे तथा बीज उपलब्धता, खेतो में बोआई से लेकर फसल जाँच कटनी तक सभी फसलों का गहन पर्यवेक्षण करेंगे। पी०भी०सी० पाईप बोरिंग का भौतिक सत्यापन लक्ष्य का 10 प्रतिशत अवश्य किया जायेगा।

i. प्रखंड के लक्ष्य के अनुसार राशि को जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार शिविर में भुगतान करना।

12

12. कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी का दायित्व :

j. प्रत्यक्षण के लाभुक को बीजोपचार से लेकर अन्न भंडारण तक पौधा संरक्षण तकनीक के हस्तांतरण की जवाबदेही पूर्ण रूप से कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी की होगी।

k. प्रखंड स्तरीय शिविरों में पौधा संरक्षण से संबंधित जानकारी प्रसार कर्मियों के माध्यम से कृषकों को सुलभ कराना।

l. गुणवत्तायुक्त पौधा संरक्षण उपादानों की उपलब्धता कराने में जिला कृषि पदाधिकारी को सहयोग देना अनिवार्य होगा।

m. इस कार्यक्रम के अधीन पेस्ट सर्वेलेन्स तथा पौधा संरक्षण उपादानों के ससमय उपयोग प्रसार कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

13. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

n. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इस अभियान के लिये अपने अनुमंडल में पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे तथा बीज वितरण, तकनीकि प्रशिक्षण से लेकर कर फसल कटनी तक सभी गोर्डस, भिंडी तथा मटर योजना हेतु चयनित ग्रामों का गहन पर्यवेक्षण करेंगे।

o. गोर्डस एवं भिंडी तथा मटर प्रभेद के बीज का नियमानुसार प्रभेदवार नमूना संग्रह कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला पटना को विश्लेषण हेतू उपलब्ध करायेगें।

14. परियोजना निदेशक, आत्मा का दायित्व :

p. परियोजना निदेशक, आत्मा के द्वारा गोर्डस, भिंडी तथा मटर की खेती हेतु अभियान में तकनिकी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।

q. परियोजना निदेशक, आत्मा जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराना सुनिश्चित करेगें। इसके लिये आत्मा योजना में उपलब्ध निधि का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

15. जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व :

r. योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होगें।

s. प्रखंडवार लक्ष्य का निर्धारण कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संसूचित करेगें।

t. प्रखंड के लक्ष्य के अनुरूप प्रखंडों में राशि का हस्तानांतरण सुनिश्चित करेगें।

u. गोर्डस, भिंडी तथा मटर से खेती के लिये प्रसार अभियान के लिये संयुक्त कृषि निदेशक, परियोजना निदेशक, आत्मा, जिला स्तरीय कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करावेंगे।

v. गोर्डस एवं भिंडी तथा मटर कार्यक्रम के लिये प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषकों के चयन की सूचना, प्रत्यक्षण हेतु बीज की उपलब्धता तथा इसके वितरण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

w. जिला कृषि पदाधिकारी अपने से संबंधित जिलों में कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को किसानों की सूची तैयार करने, प्रशिक्षण में किसानों को भाग लेने, उपादानों के वितरण कराने तथा प्रत्यक्षण अवधि में समय–समय पर कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश निर्गत करेगें।

x. पी०भी०सी० पाईप बोरिंग का भौतिक सत्यापन लक्ष्य का 1 प्रतिशत अवश्य किया जायेगा।

16. **जिला नोडल पदाधिकारी का दायित्व :**

y. संबंद्ध जिलों में लक्ष्य का कम से कम 5 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

z. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या आने पर कृषि निदेशक को अवगत कराना।

17. **संयुक्त कृषि निदेशक का दायित्व :**

aa. प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक प्रमंडल में गोर्डस, भिंडी तथा मटर का कम से कम 5 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण करेगें तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहयोग देगें।

bb. कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर निदेशालय तथा विभाग को फैक्स/दूरभाष/ई–मेल से सूचित करेगें।

18. **निदेशक बामेती का दायित्व :**

cc. गोर्डस, भिंडी तथा मटर की खेती की तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रसार हेतु प्रसार सामग्री आवश्यकतानुसार परियोजना निदेशक, आत्मा को सुलभ कराने में सहयोग करेगें।

19. **फसल जाँच कटनी :**

dd. जिला के लक्ष्य के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार फसल जाँच कटनी कराया जाना अनिवार्य होगा। कलस्टर के प्लाट तथा क्लस्टर के बाहर प्लाट का विधिवत फसल जाँच कटनी का आयोजन कराया जाना है।

20. **अभिलेखिकरण :**

ee. फसल जाँच कटनी के पंजी में कलस्टर स्थल की उत्पादकता तथा समीपवर्ती स्थल के फसल जाँच कटनी की उत्पादकता स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी एवं इसे अनिवार्य रुप से जिला कृषि पदाधिकारी को कार्यक्रम की समाप्ति पर समर्पित किया जायेगा।

ff. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा इन सूचनाओं के आधार पर समेकित रुप से गोर्डस, भिंडी तथा मटर की उत्पादकता कृषि निदेशालय को संप्रेषित की जायेगी।

21. राज्य स्तर पर इस योजना की स्वीकृति हेतु नोडल पदाधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना होंगे। राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना उत्तरदायी होंगे। सभी जिला कृषि पदाधिकारी, उप कृषि निदेशक, सूचना, बिहार, पटना एवं संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक कार्यक्रम की मासिक प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की पांचवी तारीख तक उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति नोडल पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना को मीठापुर फार्म स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे।

27/11/11

कृषि निदेशक, बिहार।